

12.6.21

पञ्जावली पत्रिका दुधी वाडी वकील द्वारा उपरो
द्वारा आदेशिका पर द्वारा प्रत्यक्ष से नोट प्रेषण
से खारिज किया करने का निर्देश दिया है।
वकील का निर्देश स्वीकार किया जाकर द्वारा प्रत्यक्ष
से नोट प्रेषण से खारिज किया जागा है। पञ्जावली
फैसल सुमार द्वारा साखियां 5+112 हो।



उप खण्ड अधिकारी
रामगढ (अलवर)

Not Press
12.6.21